न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 68/2012 पुराना मु0 न0 121/2005

उनवान

1. श्रीमति हीरा धर्म पत्नि श्री जयचन्द जाति मीणा
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जयचन्द जाति मीणा
   निवासीयान ग्राम श्यामोता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

–वादीगण

बनाम

1. मु0 लीली बेवा कालू जाति मीणा, निवासी ग्राम बन्जारी तहसील चोथ का बरवाडा व जिला सवाईमाधोपुर
2. मुरारी लाल पुत्र कालू मीणा, निवासी ग्राम बन्जारी तहसील चोथ का बरवाडा व जिला सवाईमाधोपुर
3. सहायक भू0प्रबन्धक अधिकारी, सवाई माधोपुर।
4. लेण्ड होल्डर तहसीलदार, सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 92अ व 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 ।

अभिभाषक :–

1. श्री हरिकेश मीना वादीगण

निर्णय **दिनांकः–14.03.2018**

वादीगण द्वारा एक दावा दुरूस्ती इन्द्राज व इस्ताकरारे हक बाबत् पेश किया है।

दावो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादी संख्या एक के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 360/1 रकबा 3 बीघा एक बिस्वा बाकें ग्राम श्यामोता तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। जिसके मोजूदा सेटलमेन्ट द्वारा नवीन नम्बरान का इन्द्राज कर दिया गया है जिनके मौजूदा ख0 नं0 239 रकबा 038 एयर, ख0नं0 240 रकबा 0.20 एयर खसरा नम्बर 241 रकबा 0.05 एयर,खसरा नम्बर 242 रकबा 0.23 खसरा नं0 793 रकबा 0.10 एयर कुल किता 5 रकबा 0.78 एयर, 2. वादी संख्या दो के पिता ने यह आराजी जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 4.3.1991 को प्रतिवादी संख्या एक से बिल एवज मुबलिग 11500/– रूपये क्रम संख्या 276 पुस्तक संख्या एग जिल्द संख्या 130 क्रम संख्या 10 जि0से0 172 प्र0 संख्या 407 से 412 से खरीदली थी जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 29 में दिनांक 3.6.91 को दर्ज होकर तस्दीक किया जा चुका है। 3. इस विवादित भूमि का रकबा 1/4 भाग जो पूर्व खातेदार मुरारी द्वारा केशूराम को बेचगया था उस केशूराम से दिनांक 17.9.03 को राजेन्द्र वादी द्वारा खरीदी गयी है जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सख्या 79 दिनांक 25.2.2004 को तस्दीक किया जा चुका है। 4. पूर्व में यह आराजीयात खसरा नम्बर वादीगण के नाम दर्ज थी तथा सम्पूर्ण रकबा वादीगण के खाते में आ चुकी था किन्तु प्रतिवादी संख्या तीन में इस भूमि में से 1/2 भाग की आराजीयात को गलत तरीके से खातेदारी तब्दील कर पुनः प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज कर दी जबकि वास्तविक स्थिति यह रही है कि विवादित आराजीयात का एक मात्र खातेदारान वादीगण है तथा यह भूमि राजेन्द्र व मु0 हीरा के नाम बतौर खातेदार दर्ज होना था। 5. वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी का इन्द्राज दुरूस्ती बतोर खातेदारान स्वयं के नाम कराये क्योकि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड भूमि खरीदी गई है और इसका इन्द्राज

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

नामान्तरकरण द्वारा वादीगण के हक में हो चुका है उसके बावजूद यह भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी जिसको प्रतिवादी संख्या तीन को खातेदारी तब्दील करने का कोई अधिकार नही था। 6.यह कि वादीगण किसान क्रेडिट बनवाने हेतु जमाबन्दी की प्रति मांगी तो पटवारीहल्का ने बताया कि यह भूमि 1/2 भाग लीली के नाम दर्ज हो गई इस पर दिनांक 20.10.2005 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी होने पर दावाहाजा पेश करना लाजिम आया। 7.यह है कि बावजह सुकुन त फरीकेन नोइयत दावा भूमि मुतदाबिया ग्राम श्यामोता में स्थित होने की वजह से अदालत हाजा को दावे की सुनवाई के पूरे–पूरे इखतियारात हासिल है। 8. यह कि दावा हाजा में तहसीलदार लेण्ड होल्डर व प्रतिवादी नम्बर 3 को फार्मल पक्षकार बनाया है। असल खतेदार के विरूद्व मुख्य अनुतोष चाहा है। 9. दावा हाजा व तहत दफा 88/92अ/209/ राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की शिडूल थर्ड के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 10. दावा हाजा पेशकर अर्ज है कि कि दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। (अ) वादीगण की आराजीयात विवादग्रस्त का खातेदारान घोषित किया जावे। (ब) राजस्व जमाबन्दी में इस आशय का इन्द्राज वादीगण के नाम बतोर खातेदारान दर्ज किया जावे। (स) दौराने वाद आराजी विवादित के किसी भू–भाग को प्रतिवादी नं0 एक व दो रहन बय कर दे तो दायरी दावे की स्थिति प्रतिवादी के खर्चेसे रेस्टोर फरमाई जावें। (द)जो भी दादरसी बानजदीकी अदालत मुफीद वादीगण हो बख्शी जावे। (क) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

प्रतिवादीगण एक लगायत 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है।(1)वाद पत्र का मद नम्बर एक जिस प्रकार तहरीर किया गया है। अस्वीकार है।(2)वाद पत्र का मद नम्बर दो जिस प्रकार तहरीर किया गया है। अस्वीकार है। (3) वाद पत्र का मद नम्बर तीन अस्वीकार है। (4) वाद पत्र का मद नम्बर 4 जानकारी के अभाव मे। अस्वीकार है। (5) वाद पत्र का मद नम्बर 5 अस्वीकार है। (6) वाद पत्र का मद नम्बर 6 अस्वीकार है। हमेश से ही प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। (7)वाद पत्र का मद नम्बर 7 कानूनी बिन्दु है। (8) वाद पत्र का मद नम्बर 8 कानूनी बिन्दु है। (9) वाद पत्र का मद नम्बर 9 कानूनी बिन्दु है। (10) वाद पत्र का मद नम्बर 10 का भाग अ.ब.स.द.क. अस्वीकार है। यह कि वादीगण ने झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है वादीगण का उददेश्य मात्र प्रतिवादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 व दो को हैरान परेशान करना व मानसिक ठेस पहुचाना है। प्रतिवादी संख्या एक अनपढ महिला है जिसने कभी भी उक्त आराजी खसरा नम्बर 360/1 रकबा 3 बीघा एक बिस्वा को विक्रय नही किया है तथाउक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त हैं वादीगण 1 लगायत 2 झगडालू एवं चालक किस्म के व्यक्ति है जिन्होने फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर मिल जुल कर नामान्तरकरण खुलवाया है लेकिन प्रतिवादीगण अनपढ होने के कारण नामान्तरकरण खुलवाया उसका पता नही चला मुरारी ने तो उक्त आराजी का 1/4 भाग कभी बेचा नही थां परन्तु वादीगण ने इसका इन्द्राज नामान्तरकण में मिलजुल कर करवाया है जिसकी जानकारी भी प्रतिवादीगण को नही थी। प्रतिवादी संख्या 3 सेटलमेन्ट विभाग ने प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त के आधार पर ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के नाम खातेदारी दर्ज की है जो सत्य है एवं हमेशा से ही प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है यह कि वादीगण को अपने नाम खातेदारी इन्द्राज कराने का कोई अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि प्रतिवादीगण के उक्त आराजी कभी विक्रय की ही नही एवं प्रतिवादीगण का ही वर्तमान समय में कब्जा है।

प्रस्तुत दावे व जवाब दावे पर निम्न प्रकार तनकी कायम की गई:–

तनकी संख्या:– 1. आया वादीगण का अपने हिस्से की आराजीयात विवादग्रस्त को खातेदारी घोषित कराने कराने का अधिकारी है। (वादीगण)

सहायक कलेक्टर
मु० सवाईमाधोपुर

तनककी संख्याः–2. आया वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड भूमि को अपनी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने कराने का अधिकारी है। (वादीगण)

तनककी संख्याः– 3. आया प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त आराजी ख0नं0 360/1 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि को कभी विक्रय नही किया ना ही कभी कब्जा सम्भलाया बल्की स्वंय का कब्जा काश्त है। (प्रतिवादीगण)

तनककी संख्याः– 4. आया प्रतिवादीगण की भूमि को वादीगण को अपने खातेदारी में दर्ज कराने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। (प्रतिवादीगण)

आदेशिका दिनांक 26.07.2012 के अनुसार प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादी को बार–बार आवाज लगाने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।तथा वकील वादी एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेत एवं मौखिक साक्ष्य को अवलोकन किया गया था तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी संख्या :– 01 पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वादीगण अपने पक्ष में सिद्व करने में असमर्थ रहा। इसलिये उक्त तनकी वादीगण के पक्षमें सिद्व नही होती है।

तनकी संख्याः– 02 को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। विवादित आराजी की रजिस्टर्ड सेलडीड व जमाबन्दी का निरन्तरता पेश करने में वादीगण ने कोई दस्तावेज सबूत पेश नही किया।जिसके अभाव में इस तनकी को वादीगण सिद्व करने में असमर्थ रहे। अतः यह तनकी भी वादीगण विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्याः– 03 व 04 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। विवादित आराजी जमाबन्दी का निरन्तरता पेश करने में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज सबूत पेश नही किया।जिसके अभाव में इस तनकी को प्रतिवादीगण सिद्व करने में असमर्थ रहे।

वकील वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि उक्त गलती जानबूझकर सेटलमेन्ट विभाग से साझ कर करवाई गई है। दुरूस्ती योग्य है।

हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी एव मनन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व साक्ष्य शपथ पत्र बयान का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,92ऐ,209 के अन्तर्गत आराजी साबिक ख0नं0 360/1 रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा, हाल ख0नम्बरान 239 रकबा 038 एयर, ख0नं0 240 रकबा 0.20 एयर खसरा नम्बर 241 रकबा 0.05 एयर,खसरा नम्बर 242 रकबा 0.23 एयर खसरा नं0 793 रकबा 0.10 एयर कुल किता 5 रकबा 0.78 एयर, वाके ग्राम श्यामोता वादीगण द्वारा दुरूस्ती इन्द्राज व इसकरारे हक बाबत् प्रस्तुत वाद व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों यथा–जमाबन्दी खतौनी वर्ष 2061–64,नामान्तरकरण पंजिकाये, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का अवलोकन व मनन किया गया।

अवलोकन व मनन पश्चात् न्यायालय इस नतीजे इस विनिश्चयन पर पहुंचा है कि वादी द्वारा अपने वादी/दावे के समर्थन में प्रारम्भ से (From the beginng) राजस्व रिकार्डस (जमाबन्दी) की निरन्तरता (The chain of revenue Records) प्रस्तुत नही किए है, कि विवादित खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
मु० सवाईमाधोपुर

का किस–किस स्तर पर कैसे हस्तान्तरण होकर संलग्न जमाबन्दी (खतौनी) संवत् 2061–2064 तक हुए इन्द्राजात की स्थिति आयी।उक्त दावे में राजस्व रिकार्डस की कमी है।

संलग्न नामान्तरकरणों की छाया प्रतियों से भी यह पूर्णतया स्पष्ट नही होता है कि किस तरह वादी का आराजी खसरा नम्बर 360/1 पर सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो ,क्योंकि यह सुनिर्धारित है कि नामान्तरकरण एक राजकोषीय (Fiscal) कार्यवाही है,जो पक्षकारो के अधिकारों का विनिश्चियन नही करती।नामान्तरकरण का मूल उद्देश्य वित्तीय है।,यह अधिकारों का अंतिम निर्णायक नही है। (R.R.D. 1993 पृष्ट 236 मूर्ति रघुनाथजी बनाम भंवर) उक्त विवेचन के आधार पर मै इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि वादीगण का वाद पत्र ठोस साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो क्योंकि मियाद गुजरने बाद दाखिल दफतर हो ।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर